



राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in


क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY/2024-25/19621

दिनांक 25/11/2024

आदेश

राज्य के शहरी क्षेत्रों में संचालित योजना "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" का नवीन नामकरण "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY)" किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(कुमार पाल गौतम)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 25/11/2024

क्रमांक:एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY/2024-25/19622-20298

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, वन एवं पर्यावरण, तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर योजना के पोर्टल का नाम तथा पोर्टल पर सृजित दस्तावेजों पर योजना का नवीन नाम "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY)" एवं नवीन संलग्न प्रतीक चिन्ह (Logo) के अंकन हेतु निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
9. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
11. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (समस्त), राजस्थान।
12. परियोजना निदेशक, (IRGY), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
14. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
15. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिकायें (समस्त), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि योजना के दस्तावेजों, पदनाम, सूचना-पट्ट (Board), प्रचार सामग्री प्रिंटिंग/हॉर्डिंग्स को परिवर्तित करते नवीन नाम "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY)" एवं नवीन संलग्न प्रतीक चिन्ह (Logo) के अंकन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
16. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

“मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना”

प्रतीक चिन्ह (Logo)

